



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102020-222367
CG-DL-E-12102020-222367

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3126]
No. 3126]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 12, 2020/ आश्विन 20, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2020/ ASVINA 20, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3519(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2243(अ), तारीख 07 जुलाई 2020, भारत के राजपत्र सं०-1982 तारीख 07 जुलाई, 2020 में प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में 'पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का संबर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार' हेतु जिला बेगूसराय में एलपीजी के परिवहन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 18, अगस्त, 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी (बरौनी, बिहार) ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदाई होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची					
जिला बेगुसराय			राज्य : बिहार		
अंचल	मौज़ा का नाम	सर्वे / प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बछवाड़ा	मरांची - 39	1	00	04	53
		2	00	07	00
मंसुर चक	मोमिनाबाद- 38	74	00	02	74
		61	00	04	21
		60	00	01	37
		59	00	03	42
		49	00	70	50
		9	00	00	52
		8	00	00	92
		7	00	05	27
		6	00	03	17
		5	00	05	96
		4	00	03	06
		2	00	06	04
मंसुर चक	गोबिन्दपुर- 28	103	00	06	31
		4	00	09	24

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1884	00	13	63
		1866	00	28	35
		1840	00	01	91
		1854	00	01	18
		1846	00	10	82
		1847	00	00	35
		1848	00	03	22
		1849	00	00	20
मंसुर चक	भवानीपुर - 31	527	00	01	97
		528	00	01	07
		526	00	02	56
		529	00	00	26
		525	00	02	79
		524	00	02	87
		523	00	02	89
		522	00	03	26
		521	00	03	13
		520	00	03	32
		457	00	03	01
		456	00	01	94
		455	00	01	37

[फा. सं. आर.-11025(11)/235/2017-ओआर-1/ई-13716]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th October, 2020

S.O. 3519(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2243(E) dated 07 July 2020 in Gazette of India No. 1982, dated 07 July, 2020 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 'Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG pipeline and its extension upto Patna and Muzaffarpur' for the transportation of LPG in Begusarai District in the state of Bihar by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 18 August 2020;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
District : Begusarai			State : Bihar		
Anchal	Name of Mouza	Survey / Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bachhawara	Maranchi- 39	1	00	04	53
		2	00	07	00
Mansur chak	Momina Bad- 38	74	00	02	74
		61	00	04	21
		60	00	01	37
		59	00	03	42
		49	00	70	50
		9	00	00	52
		8	00	00	92
		7	00	05	27
		6	00	03	17
		5	00	05	96
		4	00	03	06
		2	00	06	04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mansur chak	Govindpur- 28	103	00	06	31
		4	00	09	24
		1884	00	13	63
		1866	00	28	35
		1840	00	01	91
		1854	00	01	18
		1846	00	10	82
		1847	00	00	35
		1848	00	03	22
		1849	00	00	20
Mansur chak	Bhavanipur - 31	527	00	01	97
		528	00	01	07
		526	00	02	56
		529	00	00	26
		525	00	02	79
		524	00	02	87
		523	00	02	89
		522	00	03	26
		521	00	03	13
		520	00	03	32
		457	00	03	01
		456	00	01	94
		455	00	01	37

[F. No. R-11025(11)/235/2017-OR-I/E-13716]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.